बीजापुर के 30 गांवों को जोड़ने चिंतावागु नदी पर बनेगा पुल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः बीजापुर क्षेत्र में हर साल बारिश के दौरान जलभराव और संपर्कविहीन गांवों की समस्या को लेकर शासन ने हाई कोर्ट में सोमवार को जानकारी दी कि चिंतावागु नदी पर पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इस संबंध में टेंडर की कार्यवाही चल रही है। यह मामला अगस्त 2024 की भीषण बारिश के बाद सामने आया था, जब बीजापुर जिले के करीब 30 गांव बाढ़ के पानी से घिर कर टापू जैसे हो गए थे। ग्रामीणों को राशन और जरूरी सामान के लिए उफनती नदी पार करनी पड़ रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया था और शासन से जवाब मांगा था। शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बीजापुर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पीडीएस दुकानों में चार महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आपूर्ति बाधित न हो। साथ ही, जहां न्यूनतम 500 हितग्राही होते हैं, वहीं नई पीडीएस दुकानें खोली जाती हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में सोमवार को हुई सुनवाई में शासन ने यह भी कहा कि चिंतावागु नदी पर पुल बन जाने के बाद गांवों का संपर्क कायम हो सकेगा और लोगों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई के लिए तारीख नियत नहीं की है, लेकिन मामले पर निगरानी जारी रहेगी।

- बारिश में गांवों के टापू बनने पर कोर्ट ने मांगा था जवाब
- हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद शासन ने दी जानकारी